

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23(17) / लेखा / आकाशि / छास्कूल योजना / ऑनलाइन / 2021-22 / 132 दिनांक : - २७/०४/२०२२

कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना 2020

शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 116 के अनुसरण में प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु समुदाय के उत्थान हेतु उक्त समुदाय की छात्राओं के लिये स्कूटी वितरण योजना प्रारम्भ करते हुये समेकित "कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना 2020 में संशोधन/परिवर्धन" योजना के जारी दिशा-निर्देश (आदेश क्रमांक 2137 दिनांक 24.12.2020) के अनुच्छेद संख्या 5 के पश्चात अनुच्छेद संख्या 6 जोड़ा जाता है। इस योजना का लाभ राज्य की विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु समुदाय की निम्न जातियों की छात्राओं को 640 स्कूटी प्रतिवर्ष देकर लाभान्वित किया जावेगा।

विमुक्त जातियाँ (Denotified Tribes) :-

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Baori (बावरी) | 6. Nut (नट) |
| 2. Kanjar (कंजर) | 7. Naik (नाइक) |
| 3. Sansi (सौसी) | 8. Multani (मुल्तानिस) |
| 4. Bagri (Bawaria) (बागरी) (बागरिया) | 9. Bhat (भाट) |
| 5. Mogia (मोगिया) | |

Nomadic Tribes and Semi Nomadic Tribes (घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियाँ)

घुमन्तु जातियाँ (Nomadic Tribes) :-

- | | |
|---|--|
| 1. Baldias (Banjaras) (बालदीयाज) (बंजारा) | 6. Jogi Kalbelia (जोगी कालबेलिया) |
| 2. Pardhis (परधिस) | 7. Jogi Kanphata (जोगी कनफटा) |
| 3. Domabaris (दोमावरिस) | 8. Khurplats (Kulphaltas)
(खुरपलटस) (कुलफलटस) |
| 4. Gadia Lohars (गाडिया—लोहार) | 9. Shikkaligar (सिकलीगर) |
| 5. Iranis (इरानिस) | 10. Ghisadis (धीसादिस) |

अर्द्धघुमन्तु जातियाँ (Semi Nomadic Tribes) :-

- | | |
|--|--|
| 1. Sarangiwala-Bhopas (सांरंगीवाला—भोपा) | 11. Jogis (other than those included
in Nomadic Tribes) (जोगी) (घुमन्तु जातियों
में शामिल को छोड़कर) |
| 2. Rebaris (रेवारी) | (i) Girinaths (गिरिनाथ) |
| 3. Raths (राठ) | (ii) Ajaipals (अजयपाल) |
| | (iii) Agamnaths (अगमनाथ) |

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 4. Mangalias (मंगलियास) | (iv) Namanths (नामाथ) |
| 5. Bhayas(भाया) | (v) Jalandhars (जालंधर) |
| 6. Kannis (कनीस) | (vi) Masanis (मसानी) |
| 7. Janglus (जंगलस) | 12. Ramaswamies (रामास्वामी) |
| 8. Jalukus (जालूकूस) | 13. Bharaddi-Jadhavs (भारादिजाधव) |
| 9. Jhangs (झानस) | |
| 10. Sindlus(सिन्दुलस) | |

बजट घोषणा संख्या 116 के अनुसरण में निम्न जातियाँ :

1. मदारी
2. सपेरा
3. बहरुपियाँ

(1) योजना का नाम एवं उद्देश्य—

1. राजस्थान राज्य की विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु समुदाय की उपरोक्त जातियों की छात्राओं को राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने एवं कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित एवं समुदाय के उत्थान के उद्देश्य से उक्त योजना राज्य में संचालित की जा रही है।
2. योजना का नाम "कालीबाई भील मेघावी स्कूटी योजना 2020" होगा।
3. यह योजना वित्तीय वर्ष 2021–22 (01 अप्रैल, 2021) से प्रभावी होगी अर्थात् वर्ष 2021 में कक्षा 12वीं का घोषित परिणाम के आधार पर स्कूटी प्रदान की जावेगी।
4. इस योजना का नोडल विभाग, आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग होगा।

(2) योजना के अन्तर्गत देय लाभ—योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ शामिल है—

1. स्कूटी
2. स्कूटी के साथ—
 - i.विद्यार्थी को सुपुर्द करने तक का (रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम हस्तांतरण) परिवहन व्यय
 - ii.एक वर्ष का सामान्य बीमा,
 - iii.पांच वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा,
 - iv.दो लीटर पेट्रोल (वितरण के समय एक बार)
 - v.एक हेलमेट

नोट—स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 5 वर्ष से पूर्व स्कूटी का विक्रय/बेचान नहीं किया जा सकेगा।

(3) योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटी संख्या का वितरण अनुपात—

1. माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के राजकीय विधालय में अध्ययनरत छात्राओं को 50 प्रतिशत स्कूटी तथा निजी विधालयों की छात्राओं को 25 प्रतिशत स्कूटी स्वीकृत की जावेगी।

2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय/निजी विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं के लिए इकजाई रूप से 25 प्रतिशत स्कूटी दी जा सकेगी।
3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालय की छात्राओं का प्रतिशत 25 रखा गया है लेकिन विभाजन की व्यवहारिकता को देखते हुए प्रतिशत कम/अधिक किया जा सकेगा। कोई भी लाभार्थी न्यायालय के माध्यम से स्कूटी का दावा नहीं कर सकेगी।
4. उक्त योजना के तहत पात्र छात्राओं का चयन कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या के अनुपात में जिलेवार वरीयता के आधार पर किया जावेगा।

(4) योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता—

1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 70 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राओं जो कि राजस्थान के किसी भी राजकीय/निजी महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
2. राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्र के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उक्त निर्धारित प्रतिशत अंकों में पूरक परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं किये जायेंगे।
3. किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री यथा (B.A.BED/B.SC.BED/B.COM.BED/BE/B.TECH/ B.ARCH / MBBS /BBA / BBM / BCA / BDS / BHMS / BAMS / LAW/ etc.) में प्रवेश लेकर नियमित छात्र के तौर पर अध्ययनरत हो।
4. स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष से एक वर्ष का अन्तराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा।
5. किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होगी। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
6. छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
7. जिन छात्राओं ने उक्त योजना लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्राएं इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगे। परन्तु पूर्व में TAD विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी छात्रा को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये एक मुश्त राशि प्राप्त होगी।
8. इस योजना के तहत लाभार्थी छात्रा के माता-पिता की आय सीमा 2.5 लाख रूपये सालाना होगी।
9. निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।

(5) : अनुच्छेद संख्या: 6

विमुक्त, घुमन्तु व अद्वघुमन्तु वर्ग की छात्राओं हेतु

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
- सम्पूर्ण राज्य में 640 स्कूटी

- पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होंगे
- राज.मा.शि.बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 60 प्रतिशत एवं के.मा.शि.बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 70 प्रतिशत
- विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु वर्ग की विशेष योग्यजन छात्राओं के लिये 6 स्कूटी आरक्षित रखी जायेगी। विशेष योग्यजन पात्र छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति ये वर्ग की सामान्य छात्राओं को दी जा सकेगी।
- विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु वर्ग की कक्षा 12 वीं में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या के अनुपात में जिलेवार वितरित की जाने वाली स्कूटी संख्या उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी।

स्पष्टीकरण:-

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पात्र छात्रा नहीं होने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की छात्रा को लाभान्वित किया जा सकेगा।
 2. निजी विद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाली छात्रा नहीं मिलने पर राजकीय विद्यालयों की छात्रा को स्कूटी प्रदान की जा सकेगी।
 3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालयों की छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या अधिकतम है।
 4. यदि सामान्य वरीयता में कोई दिव्यांग छात्रा समायोजित हो जाती है तो उसको दिव्यांग छात्रा के लिए आरक्षित एक स्कूटी के लिए लाभार्थी मान लिया जायेगा।
 5. यदि निर्धारित पात्रता अनुसार वरीयता सूची में कोई दिव्यांग छात्रा वरीयता में नहीं आती है परन्तु योजना में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक से अधिक प्राप्तांक है तो उनकी श्रेणी के लिये आरक्षित स्कूटी की संख्या तक उनका चयन किया जायेगा।
 6. दिव्यांग छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर मांग होने पर मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल दी जा सकेगी। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत विशेष योग्यजनों को निदेशालय के पत्रांक एफ 16(1) () वियो/मो.ट्रा.यो./2017-18/13593-626 दिनांक 14.10.2017 के तहत मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल दी जा रही है।
- (6) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज (परिपत्र संख्या 955 दिनांक 30.12.2021 के अनुसार):-
- आय प्रमाण पत्र (छ: माह से पुराना न हो।)
 - प्रवेश शुल्क की रसीद (नियमित अध्ययन के प्रमाणिकरण हेतु।)
 - अंक तालिका (न्यूनतम प्राप्तांक के उत्तीर्ण के प्रमाण हेतु।)

(7) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य प्रावधान :-

1. योजना का नोडल विभाग आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग होगा।
2. सम्पूर्ण योजना का क्रियान्वयन पोर्टल (आईटी बेर्सड मॉनिटरिंग) के माध्यम से किया जायेगा।
3. Uniform Portal का विकास आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा कराया जायेगा।
4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजना के लिये बजट का प्रावधान अपने विभाग के सम्बन्धित बजट मद में कराया जावेगा।

5. घुमन्तु समुदाय हेतु योजना प्रथम बार लाई गई हैं। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समुचित तरीके से बजट का प्रावधान कराया जावेगा।
6. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर इस तरह से विकसित किया जावे कि किसी एक आधार नम्बर/जन आधार नम्बर की एक ही स्वीकृति निकले।
7. नियमों में किसी भी प्रकार के संशोधन/स्पष्टीकरण की कार्यवाही नोडल विभाग द्वारा की जायेगी।
8. नोडल विभाग द्वारा समय-समय पर योजना की समीक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योजना के सकारात्मक प्रभाव का आंकलन कर सरकार को तदनुसार पॉलिसी सुझाव दिया जायेगा।

(8) आवेदन एवं स्वीकृति प्रक्रिया :-

1. पात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। संलग्न आवश्यक दस्तावेजों को साथ में अपलोड किया जायेगा।
2. सॉफ्टवेयर इस तरह से विकसित हो कि किसी एक आधार नम्बर/जन आधार कार्ड नम्बर की एक ही स्वीकृति निकले।
3. पात्र छात्राओं द्वारा उनकी पात्रता अनुसार उक्त योजना में आवेदन किया जायेगा। उक्त योजना में निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर, निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभाग द्वारा इसके लिए एक कॉमन पोर्टल विकसित किया जायेगा। पोर्टल पर आधार नं0/जन आधार कार्ड नं0 के आधार पर कार्य करेगा। योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन की समुचित मॉनिटरिंग की जायेगी ताकि लाभ लेने में दोहराव नहीं हो। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट <https://hte.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
4. कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य कर ऑनलाईन/स्वीकृति जारी कर सकेंगे।
5. प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जाँच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, एवं अन्य सूचनाओं का मिलान एवं सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी का ऑनलाईन (Forward) करेंगे। जिला नोडल अधिकारी समस्त आवेदन पत्रों की जांच कर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन (Forward) करेंगे।

(9) योजना क्रियान्वयन की जिला स्तरीय समीक्षा-

जिला स्तर पर जिला कलक्टर, जिला स्तरीय शिक्षा निष्पादन समिति के माध्यम से इस योजना की मॉनीटरिंग करेंगे। इस समिति में:-

- (अ) छात्राओं को ऑनलाईन फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्ययोजना।
- (ब) योजना से सम्बन्धित किसी भी तरह की शिकायत होने पर आवश्यक कार्यवाही।
- (स) इस योजना का समुचित प्रचार प्रसार, संबंधित संस्थाओं एवं कार्मिकों के प्रशिक्षण आयोजित करवाना।

(द) त्वरित गति से स्कूटी के वितरण की व्यवस्था आदि की समीक्षा की जायेगी।

(10) स्कूटियों का क्रय (Procurement)

प्रत्येक विभाग के लिए योजना में वितरित की जाने वाली स्कूटी के क्रय (Procurement) हेतु स्कूटी का ब्रॉन्ड नाम, सीसी का निर्धारण, स्कूटी की कीमत आदि की कार्यवाही RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के प्रावधानों के तहत नोडल विभाग द्वारा आधुनिक तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए की जावेगी।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुमोदन वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक-102106096 दिनांक-05.01.2022 से करने के उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

अधिकृत

कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 23(16)/लेखा/आकाश/छ.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2021-22/133-14, दिनांक : २७/०४/२०२२

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, महोदय राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रभारी वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक:-एफ 11/DTNT/जाति पहचान.प्र.प/सान्याअवि/21/ ५४८६ जयपुर दिनांक ८/।।/२०१।

परिपत्र

विषय :— राज्य में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में।

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1(एफ) (2)एस डब्लू /63 दिनांक 24.02.1964 द्वारा राज्य में 32 विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों को सूचीबद्ध किया गया है। (परिशिष्ट ए) जिनमें से कुछ जातियां राजस्थान राज्य के लिये जारी अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित हैं परन्तु कुछ जातियां किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं हैं।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा इन जातियों के उत्थान एवं कल्याण के लिये समय-समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं। विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों की सूची में जो जातियां अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं ऐसी जातियों के लिये जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था पूर्व से ही विहित है। परन्तु जो जातियां अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात् उक्त जातियां सामान्य वर्ग में सम्मिलित हैं, उन जातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र के अभाव में इन योजनाओं का लाभ लिये जाने से वंचित रह जाना पड़ता है।

प्रकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर तत्पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के व्यक्तियों को उनकी जाति के पहचान हेतु विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र जारी किया जाये। ताकि उक्त विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति के व्यक्ति उक्त पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर इनके लिये संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र हो सके।

अतः इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त सूचीबद्ध परिशिष्ट ए के अनुसार विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के व्यक्तियों द्वारा राज्य में कार्यरत ई-मित्र केन्द्र (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) एवं जिले में नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित किए गए CSS केन्द्रों (नागरिक सेवा केन्द्र) के माध्यम से ऑन लाइन सलांगन प्रारूप परिशिष्ट अ के अनुसार आवेदन किया जायेगा। तथा सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये आवेदक के समस्त प्रविशिष्टीयों का परीक्षण कर यदि सही पाई जाती है तो निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट ब के अनुसार विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र 10 दिवस में डिजीटली हस्ताक्षर द्वारा जारी किया जावेगा।

उक्त प्रमाण पत्र हेतु आवेदक की जाति की पुष्टि के लिये प्रथमतया आवेदक के पैतृक/स्वयं के राजस्व रिकार्ड आदि में उसके जाति का परीक्षण करवाया जायेगा इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो शैक्षणिक रिकार्ड/नगरपालिका/ग्राम पंचायत के रिकार्ड का भी जांच/परीक्षण किया जा सकेगा जिसमें उसके स्वयं/पैतृक जाति की पुष्टि होती हो।

इसके अलावा यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी यदि राज्य के State Resident Data Hub, Jan Aadhar data, Raj E-vault and other available metadata in State data repository पर उपलब्ध हो तो उन समस्त सूचनाओं/जानकारीयों

का आन-लाईन सत्यापित किया जा सकेगा। ऐसी विशेष परिस्थिरियों जहां पर अॉनलाईन डाटा/सूचना उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी सूचनाएं एवं जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से, हार्ड कॉपी में सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त की जा सकेंगी।

उक्त जारी किये जाने वाले विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र का रिकार्ड संघारित किया जायेगा तथा उक्त पहचान प्रमाण पत्र का आवश्यकता होने पर किसी भी प्राधिकारी द्वारा ऑन-लाईन सत्यापन किया जा सकेगा।

सलंगन :- उपरोक्तानुसार

(डा. समिति शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांक:-एफ 11/DTNT/जाति पहचान.प्र.प/सान्याअवि/21/ जयपुर दिनांक 8/11/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- ५२४६-८५३६८

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
 - 2) प्रमुख सचिव/शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
 - 3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
 - 4) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
 - 5) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
 - 6) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
 - 7) समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
 - 8) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
 - 9) आयुक्त सूचना एवं प्राध्योगिकी विभाग, आयोजना भवन जयपुर को भेजकर आग्राह है कि कृपया उक्त अनुसार ऑन लाईन प्रमाण पत्र जारी करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करावें।
 - 10) समस्त संभागीय आयुक्त
 - 11) समस्त जिला कलक्टर को भेजकर निर्देशित किया जाता है परिपत्र में वर्णितानुसार पालना सुनिश्चित करावें
 - 12) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
 - 13) समस्त उपखण्ड अधिकारी
 - 14) सयुक्त निदेशक आईटी मुख्यावास सान्याअवि को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र को विडेसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही करावे।
 - 15) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला
 - 16) परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सान्याअवि।
 - 17) गार्ड फाईल

3
(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट "ए"

LIST OF DENOTIFIED TRIBES, NOMADIC TRIBES AND SEMI NOMADIC TRIBES **विमुक्त, घुमन्तू जातियों और अर्द्ध घुमन्तू जातियों की सूची**

Denotified Tribes (विमुक्त जातियाँ)

1	Baori (बावरी)	6	Nut (नट)
2	Kanjar (कंजर)	7	Naik (नाइक)
3	Sansi (सौंसी)	8	Multanis (मुल्तानिस)
4	Bagri(Bawaria) (बागरी)(बावरिया)	9	Bhat (भाट)
5	Mogia (मोगिया)		

Nomadic Tribes and Semi Nomadic Tribes (घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियाँ)

Nomadic Tribes (घुमन्तू जातियाँ)

1	Baldias (Banjaras) (बालदीयाज) (बंजारा)	6	Jogi Kalbelia (जोगी कालबेलिया)
2	Pardhis (परधिस)	7	Jogi Kanphata (जोगी कनफटा)
3	Domabaris (दोमाबरिस)	8	Khurpalts (Kulphaltas) (खुरपलट्स) (कुलफलट्स)
4	Gadia Lohars (गाडिया—लोहार)	9	Shikkaligar (सिकलीगर)
5	Iranis (इरानिस)	10	Ghisadis (धीसादिस)

Semi Nomadic Tribes (अर्द्धघुमन्तू जातियाँ)

1	Sarangiwala-Bhopas (सारंगीयाला –भोपा)	11	Jogis -{other than those included in Nomadic Tribes} (जोगी)(घुमन्तू जातियों में शामिल को छोड़कर)
2	Rebaris (रेवारी)	(i)	Girinaths (गिरिनाथ)
3	Raths (राठ)	(ii)	Ajaipals (अजयपाल)
4	Mangalias (मंगलियास)	(iii)	Agamnaths (अगमनाथ)
5	Bhayas (भाया)	(iv)	Namanths (नामाथ)
6	Kannis (कन्नीस)	(v)	Jalandhars (जालंधर)
7	Janglus (जंगलस)	(vi)	Masanis (मरानी)
8	Jalukus (जालूकूस)	12	Ramaswamies (रामास्वामी)
9	Jhangs (झानस)	13	Bharaddi-jadhavs (भारादि जाधव)
10	Sindlus (सिन्दुलस)		

2
1

परिशिष्ठ —अ

विमुक्ति, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र
हेतु आवेदन पत्र

जनाधार कार्ड सं:-

प्रार्थी का फोटो

(पासपोर्ट साईज)

1. प्रार्थी का नाम*

2. आवेदक के पिता का नाम*

3. आवेदक की माता का नाम*

4. माता—पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम

5. निवासी स्थान का पूर्ण पता*

(क) अस्थाई पता :-

(ख) स्थाई पता :-

6. गाँव/शहर* तहसील* जिला* राज्य*

7. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है* हॉ नहीं

यदि नहीं है तो आवेदक का मूल राज्य.....जिला.....तहसील.....
पता.....

8. जन्म दिनांक: जन्म स्थान उम्र

9. लिंग* पुरुष महिला

10. आवेदक की जाति

11. मोबाइल नम्बर (जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित एस.एम.एस. द्वारा सूचना चाहता है)

12. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विशिष्टयों मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है कि मैं समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1(एफ) (2)एस डब्लू /63 दिनांक 24.02.1964 के अनुसार विमुक्ति, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों में सूचीबद्ध जाति से हूँ। यदि मेरे द्वारा किसी भी सूचना के मिथ्या एवं गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्बन्धीय कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक:

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ठ -ब

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदारजिला.....राजस्थान

फोटो

क्रमांक.....

दिनांक :

विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री/श्रीमती/कुमारी ——————पुत्र/पुत्री (पिता का नाम)
—————पुत्र/पुत्री (माता का नाम) ——————राजस्थान
राज्य के जिला —————— में ग्राम/नगर
————— का/ की निवासी है तथा ये/और या इनका
कुटुम्ब यहां स्थाई /अस्थाई रूप से निवास करता/करती हैं।

2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी —————— समाज कल्याण
विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1(एफ) (2)एस डब्लू /63
दिनांक 24.02.1964 के अनुसार सूचीबद्ध राजस्थान राज्य के विमुक्त, घुमन्तु
एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों की सूची में सम्मिलित वर्गों में से —————— जाति
————— वर्ग (विमुक्त या घुमन्तु या अर्द्धघुमन्तु में से कोई एक).
का/की सदस्य हैं।

तहसीलदार का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर/सील सहित

*(उक्त प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त वर्ग के लिये
संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिये मान्य है)